प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

पत्र संख्या– 28फ/2006/1111 लखनऊ : दिनांक 01–06–2006

विषय :– शासनादेश के विरूद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा खाद्य निरीक्षकों के स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षकों के नियुक्ति अधिकारी स्वास्थ्य सचिव होने के कारण उनके स्थानान्तरण आदेश शासन स्तर से ही पारित किये जायेंगे। लेकिन यह देखा जा रहा है, कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से जनपद में ही एक प्रा0स्वा0 केन्द्र से दूसरे प्रा0स्वा0केन्द्र पर खाद्य निरीक्षकों का स्थानान्तरण कर रहें है, जो कि शासन के आदेशों की अवहेलना का प्रतीक है। साथ ही पी0एफ0ए0कार्य अवरूद्ध हो रहा है। जिससे आडिट पैरा जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–8 संख्या–1201/पांच–8–2004 खाद्य निरीक्षकों की स्थानान्तरण नीति के संदर्भानुसार, क्रम संख्या–5 में स्पष्ट उल्लेख है कि खाद्य निरीक्षकों की एक प्रा0स्वा0 केन्द्र पर तैनाती की न्यूनतम अवधि कम से कम दो वर्ष होगी। क्रम संख्या–6 में यह स्पष्ट है कि शासन स्तर से खाद्य निरीक्षकों की तैनाती जनपद में की जायेगी। एक बार प्रा0स्वा0केन्द्र पर तैनाती के पश्चात् एक स्तर ऊपर से अनुमोदन प्राप्त कर किसी खाद्य निरीक्षक को प्रशासनिक आधार पर हटाया जा सकेगा।

1. संख्या–212/पांच–10–93–41खा/12 दिनांक 18.1.1993
2. संख्या–176/पांच–10–93–63खा दिनांक 30.4.1993

अतः दो वर्ष से कम तैनाती अवधि में किसी विशेष कारण वंश किसी खाद्य निरीक्षक को जिस प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर तैनात है को हटाया जाना आवश्यक है तो उसको हटाये जाने की अनुमति महानिदेशालय/शासन से प्राप्त कर ही हटाये। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो जिन खाद्य निरीक्षकों का स्थानान्तरण जनपद में ही एक प्रा0 स्वा0 केन्द्र से दूसरे प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर आपके स्तर से किया गया है को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है, और वह अपने पूर्व तैनाती स्थान प्रा0स्वा0केन्द्र पर ही कार्यरत रहेगें।

भवदीय
(signature) 1/6/06

(डा0 एम0पी0 सिंह)
संयुक्त निदेशक (खाद्य)
कृते महानिदेशक

संख्या 28फ/2006/ उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य प0क0 उत्तर प्रदेश।
2– उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–8

(एम0पी0 सिंह)
संयुक्त निदेशक (खाद्य)